शेम्भुराम बनाम जगराम
2024 / 158
निर्णय दिनांकः—13.08.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—60 / 2024 दर्ज तिथिः—11.07.2024

1. शेम्भुराम पुत्र भारमलराम
   जाति सुथार निवासी पूनियों की बेरी,लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र भारमल
2. जोगाराम पुत्र सोनाराम
3. पीराराम पुत्र सोनाराम
4. अमरूदेवी पत्नी सोनाराम
5. जेठाराम पुत्र केसाराम
6. भंवराराम पुत्र केसाराम
7. समदा देवी पत्नी केसाराम
8. मोहन पुत्र चिमाराम
9. रामचन्द पुत्र चिमाराम
10. रावताराम पुत्र चिमाराम
11. हंजारीराम पुत्र चिमाराम
12. प्रहलादराम पुत्र चिमाराम
13. सुखराम पुत्र धूड़ाराम
    जाति सुथार निवासी पूनियों की बेरी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना

.................असल प्रतिवादीगण

14. प्रबन्धक,बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ,धोरीमन्ना
15. प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोरीमन्ना
16. प्रबन्धक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा धोरीमन्ना
17. तहसीलदार धोरीमन्ना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादी गणः— श्री राजूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णय:—

निर्णय तिथिः—13.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 367 / 14.2206 है0 वाके ग्राम पूनियों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा प्रतिवादीगणका हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की ओर से असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जबाब दावा मय विशेष आपति पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रेकर्ड में खुले हुए है। अतः मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जावे। जिस वकुलाय सहमति होने पर बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया दावा तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1084 दिनांक 01.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकुलाय उभयपक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 मय वकुलाय एक प्रार्थना पत्र वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रस्तुत की जिस पर दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादीगण के कब्जेकाशत में वादी के हिस्से को दर्शा दिया गया है तथा धोरे व समतल भूमि का सही विभाजन नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण की आपति को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार धोरीमना से पुनःविभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिर्पोट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2024 दिनांक 05.08.2025 के संलग्न न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 पर अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2024 दिनांक 05.08.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार जो कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 18.07.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक कोर्ट./2025/1831 दिनांक 15.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 18.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया।

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–74 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 367/14.2206 है0 वाके ग्राम पूनियों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है अतः अपीलार्थी आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

SDO धोरीमना

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकरीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 367/14.2206 है0 वाके ग्राम पूनियों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
शेम्भूराम पुत्र भारमलराम कौम सुथार सा.देह. खातेदार	पूर्ण	367	5.3327	बा.सो.	1.60	हरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

अमरूदेवी पत्नी सोनाराम जगराम पुत्र भारमलराम जेठाराम पुत्र केसाराम जोगाराम पुत्र सोनाराम पैलाद पुत्र चिमा पीराराम पुत्र सोनाराम भंवराराम पुत्र केसाराम रामचन्द पुत्र चिमा मोहन पुत्र चिमा रावता पुत्र चिमा सुखराम पुत्र धूड़ाराम समदादेवी पत्नी केसाराम हंजारी पुत्र चिमा कौम सुथार सा.देह खाते. रहन बदस्तूर जमाबंदी	49 / 1098 73 / 1098 49 / 1098 49 / 1098 117 / 1098 49 / 1098 49 / 1098 117 / 1098 117 / 1098 117 / 1098 146 / 1098 49 / 1098 117 / 1098	367	8.8879	बा.सो.	2.67	लाल

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

13/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

शेम्भुराम बनाम जगराम
2024 / 158
निर्णय दिनांकः–13.08.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–60 / 2024 दर्ज तिथिः–11.07.2024

1. शेम्भुराम पुत्र भारमलराम
   जाति सुथार निवासी पूनियों की बेरी,लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र भारमल
2. जोगाराम पुत्र सोनाराम
3. पीराराम पुत्र सोनाराम
4. अमरूदेवी पत्नी सोनाराम
5. जेठाराम पुत्र केसाराम
6. भंवराराम पुत्र केसाराम
7. समदा देवी पत्नी केसाराम
8. मोहन पुत्र चिमाराम
9. रामचन्द पुत्र चिमाराम
10. रावताराम पुत्र चिमाराम
11. हंजारीराम पुत्र चिमाराम
12. प्रहलादराम पुत्र चिमाराम
13. सुखराम पुत्र धूड़ाराम
    जाति सुथार निवासी पूनियों की बेरी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना

.................असल प्रतिवादीगण

14. प्रबन्धक,बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ,धोरीमन्ना
15. प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोरीमन्ना
16. प्रबन्धक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा धोरीमन्ना
17. तहसीलदार धोरीमन्ना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादी गणः– श्री राजूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

SDO धोरीमना

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 367/14.2206 है0 वाके ग्राम पूनियों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
शेम्भूराम पुत्र भारमलराम कौम सुथार सा.देह. खातेदार	पूर्ण	367	5.3327	बा.सो.	1.60	हरा
अमरूदेवी पत्नी सोनाराम जगराम पुत्र भारमलराम जेठाराम पुत्र केसाराम जोगाराम पुत्र सोनाराम पैलाद पुत्र चिमा पीराराम पुत्र सोनाराम भंवराराम पुत्र केसाराम रामचन्द पुत्र चिमा मोहन पुत्र चिमा रावता पुत्र चिमा सुखराम पुत्र धूड़ाराम समदादेवी पत्नी केसाराम हंजारी पुत्र चिमा कौम सुथार सा.देह खाते. रहन बदस्तूर जमाबंदी	49/1098 73/1098 49/1098 49/1098 117/1098 49/1098 49/1098 117/1098 117/1098 117/1098 146/1098 49/1098 117/1098	367	8.8879	बा.सो.	2.67	लाल

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

13/8/2025

(भगीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर